

पृष्ठ सं. [क्र. 3232]

केंद्र प्रमुख, पंजाब
 18 JAN 2006
 कक्षा

3/3/16

मध्य प्रदेश शासन
 पंजाब एवं प्राचीन विभागात् विभाग
 मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-11/2005/22/पं. 2,
 प्रति,

बोपाल, दिनांक 28 दिसंबर, 05

1. सचिव, अलेक्टर न.प्र.
2. अस्तित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिनस पंचायत अलेक्टर न.प्र.

विषय:- शिक्षा कार्ययों के परिवार जो अनुभवा विद्यार्थी तिरु आने के संबंध में ।

-0-

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय शिक्षा तथा वैश्विक सेवाकाल के दौरान शिक्षा
 संस्थाओं में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के एक सदस्य को अनुभवा निर्णय त
 सुविधा दी जाये । यह अनुभवा निर्णय अविद्या शाळा शिक्षा के प्रथम वर्ष की लक्ष्यी ।
 2. अनुभवा निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवाओं
 के लिये जो विद्या निर्देश जारी किये गये हैं उन निर्देशों के अधीन यह अनुभवा निर्णय
 जायेगी ।

अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन,
 स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
 मंत्रालय, भोपाल

म.प्र. शासन, पंजाब एवं प्राचीन विभाग
 मंत्रालय, बोपाल
 28 दिसंबर, 2005

पु. प्र. सं. 2/11/2005/22/पं. 2,
 प्रति, वि. वि.:-

1. प्रमुख, पंजाब एवं प्राचीन विभाग ।
2. प्रमुख, पंजाब एवं प्राचीन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग
3. जयपुर लोक शिक्षा न.प्र. विभाग ।
4. जयपुर जनसंपर्क न.प्र. विभाग ।
5. जयपुर, पंजाब एवं प्राचीन विभाग न.प्र.
6. मुख्य सचिव के कार्यालय जयपुर न.प्र.
7. विशेष सहायक आयुक्त जयपुर, पंजाब एवं प्राचीन विभाग

म.प्र. शासन, पंजाब एवं प्राचीन विभाग
 मंत्रालय, बोपाल, दिनांक 28 दिसंबर, 2005

